Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 01/2019

Bilash Mahto ..... Appellant.

Versus

Nunu Lal Mahto ..... Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	19.07.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, पूर्णिया बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम–2009 के अंतर्गत भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–42/17–18 में दिनांक–06.11.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु एक पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–खुट्टी बनेली 151/1 आर0एस0 खाता सं0–928, आर0एस0 खेसरा सं0–408, रकवा–3 एकड़ 4 डी0 भूमि लतोरी ठाकुर के नाम दर्ज है। उनके जीवन काल में उसके पुत्र सीताराम ठाकुर द्वारा सब जज प्रथम पूर्णिया के समक्ष बँटवारा सूट 296/1971 दायर किया गया। उक्त बँटवारा सूट में खतियानी रैयत के सभी वारिशान पक्षकार बने एवं समझौते के आधार पर खेसरा सं0–408 की भूमि वैध उत्तराधिकारियों के बीच भिन्न रकवा के साथ वितरित हुई। लतोरी ठाकुर द्वारा खेसरा सं0–408 की भूमि दान में नहीं दी गई। बँटवारा सूट के अनुरूप प्राप्त हिस्सों पर सभी सह–हिस्सेदार दखलकार हुए। एक सह–हिस्सेदार बलराम ठाकुर द्वारा अपने हिस्से की उक्त खेसरा से 79 डी0 भूमि विक्रय संलेख सं0–9255 दिनांक–31.07.2001 द्वारा डोमनी देवी को बिक्री की गई। क्रेता के पक्ष में जमाबंदी सं0–6824 दर्ज है और भू–लगान भुगतान किया जा रहा है। यदि उक्त भूमि भूदान को दी गई होती तो विक्रय संलेख निष्पादित नहीं होता। उत्तरवादियों का दावा है कि उक्त भूमि उनके पूर्वज मनचित नोनिया उर्फ मंचित महतो को 27.07.1957 को भूदान पर्चा से प्राप्त है, जो नामांतरण कराकर भू–लगान प्राप्त कर रहे हैं। उत्तरवादियों द्वारा निम्न न्यायालय में बेदखली के भय से वाद दायर किया गया जिसमें उनके पक्ष में आदेश पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। प्रश्नगत भूमि लतोरी ठाकुर के नाम से दर्ज है। बँटवारा वाद सं0–296/1971 में समझौतों के आधार पर पारित आदेश के आलोक में 1.60 एकड़ भूमि बलराम ठाकुर के हिस्से में प्राप्त हुई और उनके नाम जमाबंदी भी दर्ज है जिसका उत्तरवादियों द्वारा कभी विरोध नहीं किया गया। बलराम ठाकुर द्वारा 79 डी0 भूमि डोमनी देवी को बिक्री की गई जिसपर ये दखलकार हैं एवं उनके नाम जमाबंदी दर्ज है। निम्न न्यायालय में डोमनी देवी के जगह उनके पति को पक्षकार बनाना सही नहीं है। भूदान यज्ञ समिति द्वारा निर्गत पर्चा	

Web Copy. Not Official.

		जाली है। उत्तरवादियों द्वारा कुल रकवा–3.04 एकड़ में से 1.50 का भूमि का भूदान पर्चा पर दावा किया जा रहा है। डोमनी देवी एवं भूदान यज्ञ समिति को निम्न न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है। निम्न न्यायालय को खतियान क्रमशः	
	लगातार 19.07.2023	में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा दखल घोषित किया जाना क्षेत्राधिकार से परे है। उत्तरवादियों का भू–लगान रसीद जाली है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि 01 एकड़ 50 डी0 विधिवत् भूदान यज्ञ समिति द्वारा दिनांक–27.07.1957 को भूदान प्रमाण पत्र सं0–59344 द्वारा प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि उस दरम्यान आर0एस0 सर्वे का कार्य चल रहा था। विवादित भूमि का पुराना खाता सं0–1164 (928) पुराना खेसरा सं0–2244 (नया 408) अंकित है। उक्त भूमि के भूदाता लतोरी ठाकुर थे। भूदानी किसान उत्तरवादी के पिता मनचित नोनिया भूदान से प्राप्त भूमि पर दखलकार होते हुए जीविकोपार्जन हेतु कृषि कार्य करते रहे तथा अपने नाम जमाबंदी दर्ज कराकर भू–लगान प्राप्त कर रहे हैं। अपीलार्थी विलास महतो द्वारा असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर भूदानी किसान को प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर दिया। फलतः इनके द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर किया गया, जिसमें तथ्यों एवं दस्तावेजों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत विधिसम्मत् एवं न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। इस न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी द्वारा प्रश्नगत भूमि भूदान से प्राप्त तथा अपीलार्थी द्वारा खतियानी रैयत से प्राप्त केवाला के आधार पर दावा किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा बँटवारा वाद सं0–296/1971 में पारित आदेश के आलोक में प्रश्नगत खाता–खेसरा के 1.60 एकड़ भूमि बलराम ठाकुर ने हिस्से में प्राप्त है जिन्होंने 0.79 डी0 भूमि विक्रय संलेख सं0–9255 दिनांक–31.07.2001 द्वारा अपीलार्थी की पत्नी डोमनी देवी के पास बिक्री की। क्रेता के पक्ष में जमाबंदी दर्ज है। प्रस्तुत मामले में विवादित भूमि की क्रेता डोमनी देवी, विक्रेता भूदान यज्ञ समिति एवं बिहार सरकार आवश्यक पक्षकार हैं जिनके पक्षों की सुनवाई करना न्यायहित में अनिवार्य है। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को पक्षकार दोषग्रसित एवं विधि विरूद्ध पाकर निरस्त करते हुए प्रस्तुत मामले को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, पूर्णिया के समक्ष इस निदेश के साथ विप्रेषित (Remand) किया जाता है कि भूदान यज्ञ समिति, बिहार सरकार एवं अन्य आवश्यक पक्षकारों की सुनवाई करते हुए प्रावधानित समय सीमान्तर्गत विधिसम्मत् मुखर आदेश पारित करेंगे। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित।	

Web Copy, Not Official.

		आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.